

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलासचिव,  
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय,  
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 04 दिसम्बर, 2008

विषय:- नवीन महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम/विषय की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके पत्रांक:सम्बद्धता/723, दिनांक 26-04-2006, पत्रांक:सम्बद्धता/1171, दिनांक 13-07-2006, पत्रांक:सम्बद्धता/676, दिनांक 21-12-2006, पत्रांक:सम्बद्धता/378, दिनांक 22 मई, 2007 एवं पत्रांक:सम्बद्धता/, दिनांक 15 जुलाई, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, दिल्ली-हापुड़ बाईपास रोड, गाजियाबाद को बी०बी०ए० एवं बी०सी०ए० पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:-

- (1) उक्त पाठ्यक्रम का संचालन राज्य सरकार एवं तत्पश्चात् विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
- (2) उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्थान शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनादेश संख्या-3411/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002, शासनादेश संख्या-193/सत्तर-2-2003-2(166)/2002, दिनांक 13 जनवरी, 2003, शासनादेश संख्या-585मु०म०/सत्तर-2-2005-2(166)/2002, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 एवं शासनादेश संख्या-743मु०म०/सत्तर-2-2006-2(166)/2002, दिनांक 07 नवम्बर, 2006 तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताएँ एवं औपचारिकताएँ पूर्ण कर लेगा।
- (3) उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से माँग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी।
- (4) संस्थान की किसी लायविलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा।

- (5) राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकी के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
  - (6) उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बद्धता के समय इस आशय की लिखित अपडरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
  - (7) मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर अथवा भूमि किसी प्राधिकरण से क्रय किये जाने की स्थिति में लीजडीड की प्रमाणित प्रति सम्बद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
  - (8) उक्त पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम/मोहल्ला-डासना, तहसील-गाजियाबाद, जनपद-गाजियाबाद में स्थित खसरा संख्या-766, 768 व 773 के कुल रकबा 5.57+9865 वर्ग मीटर भूमि में मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर य अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उक्त भूमि को सम्बद्धता के प्रस्ताव के पूर्व महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया जायेगा।
  - (9) ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगा और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी।
- 2- कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।

संख्या-3507(1)/सत्तर-2-2008-तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव/प्रबन्धक, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, दिल्ली-हापुड़ बाईपास रोड, गाजियाबाद।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (4) निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री।
- (5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।